संख्या: 5/2015/1516/12-2-2015-बजट.4/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2015

विषय: नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस-36/ लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2015-16 दिनांक 13 अप्रैल, 2015 तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेा, लखनऊ के पत्र संख्या: एस-कैम्प-94/2015-15 दिनांक 29 अप्रैल, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को प्रीमियम का भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1800000 हजार के सापेक्ष रू0 900000 हजार (रूपये नब्बे करोड मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची मय पता सहित कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाली जायेगी।

5. उपर्युक्त धनराशि का निस्तारण मांग पर नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जायेगी।

7. बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान की जाने वाली धनराशि का आंकलन अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को प्रीमियम का भुगतान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 5/2015/1516 (1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ अनुभाग-3
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।